


चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट
(वित्तीय वर्ष 2023-24)



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट
(वित्तीय वर्ष 2023-24)

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा :

सीवीपीपीएल अपने हितधारकों की चिंताओं के समाधान एवं अपने सभी व्यावसायिक क्रियाकलापों में सीएसआर और संधारणीयता के श्रेष्ठ मानकों को बढ़ावा देने और उन्हें अनुरक्षित रखने हेतु प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सीवीपीपीएल विधि के शासन, स्थानीय समुदायों और व्यापक रूप से समाज का सम्मान करती है और अपने सीएसआर और संधारणीयता क्रियाकलापों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरणीय स्थिरता में वृद्धि करने के लिए जागरूक प्रयास करती है।

सीवीपीपीएल की सीएसआर और संधारणीयता नीति, सीवीपीपीएल के व्यवसाय को सामाजिक रूप से उत्तरदायी रीति से संचालित करने का आधार बनाती है, जिसका लक्ष्य क्रियाकलापों के समस्त क्षेत्रों में कार्यनिष्पादन की रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण में पारदर्शिता के अपेक्षित मानकों के अनुरूप उच्च स्तर की संगठनात्मक निष्ठा और नैतिक व्यवहार को अनुरक्षित करते हुए तथा कंपनी के संचालन और उसकी गतिविधियों से प्रत्यक्षतः प्रभावित प्रमुख हितधारकों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चिंताओं को समझना और उनका समाधान करते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता के साथ जलविद्युत विकास और कंपनी के दीर्घकालिक विकास के उद्देश्यों को एकीकृत करना है।

सीवीपीपीएल के बोर्ड ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत निहित उपबंधों के अनुसरण में, सीवीपीपीएल की सीएसआर और संधारणीयता नीति को अनुमोदित किया है।

यह नीति, कंपनी अधिनियम 2013, अधिनियम की अनुसूची VII, सीएसआर नियमों और उसके संशोधनों के अनुसरण में विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत सीएसआर क्रियाकलापों के कार्यान्वयन से संबंधित उपबंधों का प्रावधान करती है।

सीवीपीपीएल की सीएसआर और संधारणीयता नीति को सीवीपीपीएल की वेबसाइट लिंक <https://www.cvppindia.com/CSR.aspx?Policies> पर सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।

नीति की मुख्य विशेषताएं:

किसी वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर और संधारणीयता कार्यों के लिए बजट प्रावधान सीवीपीपीएल द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित किए गए औसत निवल (शुद्ध) लाभ का 2% होगा।

कंपनी के औसत निवल लाभ का परिकलन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के यथा-संशोधित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

एक जलविद्युत विकासकर्ता होने के नाते, सीवीपीपीएल द्वारा मुख्य रूप से अपनी परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों या कॉर्पोरेट कार्यालय के निकट सीएसआर और संधारणीयता क्रियाकलापों का कार्यान्वयन किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सीएसआर और संधारणीयता क्रियाकलापों का कम-से-कम 80% निष्पादन सीवीपीपीएल की परियोजनाओं, पावर स्टेशनों और कार्यालयों के आसपास 25 किलोमीटर के भीतर और उस जिले में किया जाता है जहां परियोजना स्थित है। तथापि, 25 किलोमीटर से अधिक दूरी के अन्य स्थानों को भी आवश्यकता के आधार पर और राष्ट्रीय योजनाओं/अभियानों पर भारत सरकार के निर्देश के अनुसार चुना जा सकता है, जिसमें समाज/पर्यावरण के व्यापक हित के लिए सीएसआर बजट की 20% राशि खर्च की जा सकती है।

सीवीपीपीएल द्वारा सीएसआर क्रियाकलाप कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अनुसार संचालित किए जाएंगे।

किसी अन्य क्रियाकलाप/मद पर किए गए ऐसे व्यय को, जो समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-VII के अनुरूप नहीं है, सीएसआर व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा।

सीवीपीपीएल द्वारा सीएसआर निधि आवंटन और व्यय (वर्ष-वार):

वर्ष	लाभ के प्रतिशत के रूप में आवंटन का आधार	अनिवार्य निधि आवंटन (रुपये)	वास्तविक व्यय (रुपये)
2017-18	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	6,94,928.00	6,98,460.00
2018-19	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	12,39,193.00	12,39,820.00
2019-20	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	22,54,878.00	13,11,553.00
2020-21	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	29,43,495.00	42,47,040.00
2021-22	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	26,49,830.00 *	3,11,627.00
2022-23	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	22,13,210.00**	29,66,074.00***
2023-24	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	34,57,000.00#	24,97,711.00##
	कुल	1,54,52,534.00	1,32,72,285.00

* वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय करने की आवश्यकता के प्रति समायोजन के लिए बोर्ड द्वारा 1,20,073.00 रुपये की राशि को मंजूरी दी गई। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2% (अर्थात 26,49,830.00 रुपये) से 1,20,073.00 रुपये के समायोजन के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शुद्ध सीएसआर दायित्व 25,29,757.00 रुपये था।

** वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय करने की आवश्यकता के प्रति समायोजन के लिए बोर्ड द्वारा 1,20,073.00 रुपये की राशि को मंजूरी दी गई। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2% (अर्थात 22,13,210.00 रुपये) से 1,20,073.00 रुपये घटाकर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शुद्ध सीएसआर दायित्व 20,93,137.00 रुपये था।

*** इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 की सीएसआर गतिविधियों के लिए 20,65,195.00 रुपये का व्यय, प्रधानमंत्री राहत कोष में हस्तांतरित 27,942.00 रुपये और वित्तीय वर्ष 2021-22 की अप्रयुक्त राशि से वित्तीय वर्ष 2021-22 की सीएसआर गतिविधियों (चल रही परियोजनाओं) पर व्यय किए गए 8,72,937.00 रुपये शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय करने की आवश्यकता के प्रति समायोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा 1,20,073.00 रुपये की राशि को मंजूरी दी गई। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2% (अर्थात 34,57,466.00 रुपये) से 1,20,073.00 रुपये के योग से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शुद्ध सीएसआर दायित्व 33,37,392.00 रुपये था।

इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 की सीएसआर गतिविधियों के लिए 14,70,000.00 रुपये का व्यय, प्रधानमंत्री राहत कोष में हस्तांतरित 5,000.00 रुपये और वित्तीय वर्ष 2021-22 की अप्रयुक्त राशि से वित्तीय वर्ष 2021-22 की सीएसआर गतिविधियों (चल रही परियोजनाओं) के लिए 10,22,711.00 रुपये का व्यय शामिल है।

सीवीपीपीएल द्वारा क्षेत्रवार सीएसआर व्यय (वर्ष-वार) :

वर्ष	व्यय (रुपये में)						कुल
	शिक्षा क्षेत्र	स्वास्थ्य देख रेख क्षेत्र	महिला सशक्तिकरण	सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करना	आपदा प्रबंधन	केन्द्रीय सरकारी निधियों में अंशदान	
2017-18	6,68,560.00	29,900.00	0.00		0.00		6,98,460.00
2018-19	7,85,234.00	4,54,586.00	0.00		0.00		12,39,820.00
2019-20	7,72,517.00	39,000.00	1,24,125.00	1,76,229.00	1,99,682.00		13,11,553.00
2020-21	14,66,668.00	25,81,132.00	0.00		1,99,240.00		42,47,040.00
2021-22	0.00	3,11,627.00	0.00		0.00		3,11,627.00
2022-23	0.00	29,38,132.00	0.00	0.00	0.00	27,942.00	29,66,074.00
2023-24	0.00	24,92,711.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	24,97,711.00
	36,92,979.00	88,47,088.00	1,24,125.00	1,76,229.00	3,98,922.00	32,942.00	1,32,72,285.00

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वित सीएसआर क्रियाकलाप:

सीवीपीपीएल के बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में 34,57,000 रुपये (चौतीस लाख सत्तावन हजार रुपये मात्र) के अनुमानित परिव्यय के साथ निम्नलिखित सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया, जिन्हें सभी औपचारिकताओं और दिशानिर्देशों का पालन करने के बाद भारत सरकार द्वारा अधिसूचित थीम 'स्वास्थ्य और पोषण' के अनुपालन में सीवीपीपीएल परियोजनाओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में सीधे लागू किया जाना है।

परियोजना	सीएसआर गतिविधि	अनुमानित लागत (रुपये में)
पकल दुल जल विद्युत परियोजना	1. जिला मुख्यालय, किशतवाड़ से दूर क्षेत्रों में चिकित्सा शिविरों का आयोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना।	12,00,000.00
	2. पीएचसी दच्छन में विकास कार्य (लैब आइटम/किट/रैपिड टेस्ट कार्ड की खरीद)	2,57,000.00
	कुल	14,57,000.00
किरू जल विद्युत परियोजना	1. विशेष शिविर-01 और दवाइयों और हेल्थ सप्लीमेंटों का वितरण	2,57,100.00
	2. पीएचसी किरू को बुनियादी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना- 01 बायो केमिस्ट्री एनालाइजर	6,23,720.00
	3. जागरूकता अभियान- निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर बैनर लगाना	1,19,180.00
	कुल	10,00,000.00
कवार जल विद्युत परियोजना	जिला अस्पताल किशतवाड़ को चिकित्सा स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध कराना- 01 एक्स-रे के लिए कंप्यूटेड रेडियोग्राफी (सीआर) प्रणाली	10,00,000.00
	कुल	10,00,000.00
	सकल योग	34,57,000.00

उपर्युक्त सीएसआर गतिविधियों को शुरू में परियोजनाओं द्वारा सीधे लागू करने के लिए अनुमोदित किया गया था, हालांकि, पकल दुल जल विद्युत परियोजना द्वारा "जिला मुख्यालय, किशतवाड़ से सुदूर के क्षेत्रों में चिकित्सा शिविरों का आयोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना" की गतिविधि संख्या 01 के लिए आवंटित 12,00,000/- रुपये की राशि 22 फरवरी, 2024 को जिला विकास आयुक्त, किशतवाड़ के आधिकारिक बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी। उक्त उद्देश्य के लिए निधियों के उपयोग के संबंध में जिला आयुक्त, किशतवाड़ से प्रमाणन प्राप्त हो गया है।

इसके अलावा, यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सीएसआर गतिविधियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वयन के लिए एक वर्ष की गतिविधि के रूप में अनुमोदित किया गया था और इसमें चिकित्सा उपकरण / दवाइयों और हेल्थ सप्लीमेंट की खरीद शामिल थी, जिसमें चिकित्सा उपकरणों की विशिष्टताओं को संबंधित क्षेत्र के प्रशासन से सीएमओ रैंक के एक अधिकारी द्वारा तय किया जाना था। इसके अलावा, चिकित्सा उपकरण / दवाइयों और हेल्थ सप्लीमेंट की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया को भी सफलतापूर्वक पूरा होने में उचित समय लगता है। समय-विलंबित प्रक्रियाओं की भागीदारी के कारण, किरू और क्वार जल विद्युत परियोजना की उपरोक्त उद्धृत सीएसआर गतिविधियाँ वित्तीय वर्ष 2023-24 की निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी नहीं हो सकीं। किरू एचईपी ने उपकरण / दवाइयों / हेल्थ सप्लीमेंट के लिए आपूर्ति आदेश 28 मार्च, 2024 को दिया था, लेकिन इसकी डिलीवरी 31 मार्च, 2024 तक नहीं की जा सकी।

इसके अलावा, ऋार जल विद्युत परियोजना ने चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया भी शुरू की थी, जिसे सफलतापूर्वक पूरा होने में काफी समय लगना था।

इसके बाद, बोर्ड ने सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की और गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए समय अवधि में विस्तार को मंजूरी दी और इस प्रकार निधियों के वर्षवार आवंटन के साथ गतिविधियों को चालू गतिविधि के रूप में मंजूरी दी। आवंटित बजट में से, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14,70,000.00 रुपये की राशि खर्च की गई। किरू और ऋार एचईपी के संबंध में 19,82,000.00 रुपये की अप्रयुक्त राशि वित्तीय वर्ष के अंत से तीस दिनों की निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर "वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीवीपीपीएल के खर्च न की गई सीएसआर खाते" में स्थानांतरित कर दी गई। खर्च न किए गए राशि को लागू सीएसआर मानदंडों और सीवीपीपीएल की सीएसआर नीति के अनुसरण में निर्धारित समय अवधि के भीतर खर्च किया जाएगा। पकल दुल जल विद्युत परियोजना के संबंध में 5,000.00 की राशि 06 मई, 2024 को अनुसूची VII में निर्दिष्ट एक निधि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, में स्थानांतरित कर दी गई है।

पकल दुल और किरू जल विद्युत परियोजना द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में सीएसआर गतिविधि के कार्यान्वयन के चित्र **परिशिष्ट-1** में दिए गए हैं और पकल दुल की गतिविधि संख्या 02 के अनुसरण में बीएमओ, दच्छन को सौंपी गई वस्तुओं की सूची **परिशिष्ट-2** में विस्तृत रूप से दी गई है। अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन की परियोजना स्तर पर गठित विभागीय निगरानी समितियों और सीवीपीपीएल की सीएसआर नीति के अनुसरण में नोडल अधिकारी (सीएसआर) द्वारा विधिवत निगरानी की गई थी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग बोर्ड द्वारा अनुमोदित उद्देश्य और तरीके से किया गया है।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

कंपनी अधिनियम की धारा 135(9) के अनुसार, सीएसआर समिति के गठन की आवश्यकता सीवीपीपीएल पर लागू नहीं होती है और इस प्रकार सीएसआर समिति के कार्यों का निर्वहन सीवीपीपीएल के बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

बोर्ड की एक सीएसआर समिति, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं, सीवीपीपीएल के सीएसआर कार्यों की देखरेख कर रही है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद का स्वरूप
1.	श्री एच राजेश प्रसाद, आईएस	अध्यक्ष (नामिति निदेशक)
2.	श्री आर पी गोयल	सदस्य (नामिति निदेशक)
3.	श्री रमेश मुखिया	सदस्य (प्रबंध निदेशक)

3. वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर बतलाया गया है :

सीएसआर नीति और अन्य ब्यौरों को सीवीपीपीएल की वेबसाइट पर लिंक <https://www.cvppindia.com/CSR.aspx?Policies> पर सार्वजनिक डोमेन में रखी गई है।

4. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का ब्योरा प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें):-

लागू नहीं।

5. (क) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल (शुद्ध) लाभ: 17,28,73,282.00 रुपए

(ख) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत:

34,57,566.00 रुपये

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष:

शून्य रुपए

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन (सेट-ऑफ) हेतु अभीष्ट राशि, यदि कोई हो: 1,20,074.00 रुपये (हालांकि, स्थानीय लोगों के लाभ के लिए और किशतवाड़ क्षेत्र में सीवीपीपीएल के लिए सद्भावना उत्पन्न करने के लिए, गतिविधियों की अनुमानित लागत के अनुसार, 34,57,000.00 रुपये का कुल आवंटन, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व ((ख)+(ग)-(घ)):

33,37,392.00 रुपये

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि (चल रही परियोजना और चल रही परियोजना के अतिरिक्त दोनों) :

14,70,000.00 रुपए

(ख) प्रशासनिक ओवरहेड्स पर व्यय की गई राशि : शून्य

(ग) प्रभाव मूल्यांकन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो : शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि ((क)+(ख)+(ग)) : 14,70,000.00 रुपये

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित (खर्च की गई) अथवा अव्ययित (खर्च न की गई) सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (रुपये में)	अव्ययित राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत यथा-विनिर्दिष्ट किसी निधि को अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
14,70,000.00	19,82,000.00	30/04/ 2024	प्रधानमंत्री राहत कोष	5,000/-	06/05/2024

(च) समायोजन (सेट-ऑफ) के लिए अधिक राशि, यदि कोई हो:

क्रम सं.	विवरण	राशि (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	लागू नहीं
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	लागू नहीं
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई आधिक्य राशि	लागू नहीं
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों से उत्पन्न आधिक्य, यदि कोई हो	लागू नहीं
(v)	आगे के वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि	लागू नहीं

7. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित (खर्च न की गई) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का ब्योरा:

1	2	3	4	5	6			7	8
क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि (रुपए में)			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)	कमी, यदि कोई हो
					निधि का नाम	राशि (रुपये में)	अंतरण की तिथि		
1	2020-21	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2021-22	22,42,494	13,69,557	10,22,711	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	3,46,846/-	30/09/2024 तक अंतरित की जाएगी	-	-
3	2022-23	-	-	-	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	27,942/-	22/09/2023 को अंतरित कर दी गई	-	-

8. क्या वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत आस्ति बनाई गई या अर्जित की गई है: नहीं यदि हां, तो सृजित/अर्जित पूंजीगत आस्तियों की संख्या दर्ज करें:

वित्तीय वर्ष में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण प्रदान करें।

क्रम सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति (यों) का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थल)	संपत्ति या परिसंपत्ति (यों) का पिन कोड	सृजन की तारीख	व्यय की गई सीएसआर राशि	निकाय/प्राधिकारी/ पूंजीकृत स्वामी के लाभार्थी का ब्योरा
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(सभी क्षेत्रों को राजस्व रिकॉर्ड में प्रदर्शित किए गए अनुसार ही दर्ज किया जाना चाहिए, प्लैट नंबर, मकान नंबर, नगर निगम कार्यालय/नगर निगम/ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और साथ ही अचल संपत्ति और सीमाओं का क्षेत्र भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए)

एनए: लागू नहीं

9. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो इसकी कारण निर्दिष्ट करें:

सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना के तहत अनुमोदित गतिविधियों में चिकित्सा उपकरण / दवाइयां और हेल्थ सप्लीमेंट की खरीद शामिल थी, जिसमें चिकित्सा उपकरण के विनिर्देश संबंधित क्षेत्र के प्रशासन से सीएमओ रैंक के एक अधिकारी द्वारा तय किए जाने थे। इसके अलावा, जीईएम पोर्टल के माध्यम से चिकित्सा उपकरण / दवाइयां और हेल्थ सप्लीमेंट की खरीद करने की निविदा प्रक्रिया को भी सफलतापूर्वक पूरा होने में उचित समय लगता है। किरु जल विद्युत परियोजना ने पहले ही 28 मार्च, 2024 को उपकरण / दवाइयों / हेल्थ सप्लीमेंट के लिए आपूर्ति आदेश दिया है और 31 मार्च, 2024 तक इसकी डिलीवरी नहीं की गई थी। हालांकि, कवार जल विद्युत परियोजना ने चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की है, जिसे पूरा होने में काफी समय लगेगा। इस प्रकार, किरु और कवार जल विद्युत परियोजना की उपरोक्त उद्धृत सीएसआर गतिविधियां वित्तीय वर्ष 2023-24 की निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी नहीं की जा सकीं। सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना को बोर्ड द्वारा संशोधित किया गया है तथा इस गतिविधि को इसके कार्यान्वयन कार्यक्रम के विस्तार के साथ चालू गतिविधि के रूप में अनुमोदित किया गया है।

हस्ता/-
एच. राजेश प्रसाद, आईएस
अध्यक्ष, सीएसआर समिति

हस्ता/-
रमेश मुखिया
प्रबंध निदेशक, सीवीपीपीएल

वित्तीय वर्ष 2023-24 में किए गए सीएसआर गतिविधि के चित्र



29 मार्च, 2024 को सीएमओ-किशतवाड़, एचओपी-पकल दुल जल विद्युत परियोजना, सीवीपीपीएल और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पकल दुल जल विद्युत परियोजना, सीवीपीपीएल, किशतवाड़ द्वारा पीएचसी दच्छन के लिए बीएमओ किशतवाड़ को स्वास्थ्य सेवा वस्तुएं सौंपना।



राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय इखाला, ग्राम सौंदर




राजकीय प्राथमिक विद्यालय करूर, ग्राम सौंदर



राजकीयमाध्यमिक विद्यालय खिरपोखनो, ग्राम लोपारा (दच्छन)

सरकारी माध्यमिक विद्यालय पिंजारी, ग्राम सौंदर (दच्छन)



Latitude: 33.458799
Longitude: 75.724363
Elevation: 1293.05±14 m
Accuracy: 18.5 m
Azimuth: 231° (SW)
Pitch: 1.2°
Time: 05-27-2023 11:08
Note: Govt. School Karur

Powered by AngptCam

राजकीय माध्यमिक विद्यालय इखाला, ग्राम सौंदर

राजकीय प्राथमिक विद्यालय करुर, ग्राम सौंदर

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए चालू सीएसआर क्रियाकलापों के अंतर्गत स्कूलों में शौचालयों की मरम्मत/पुनरुद्धार



Shot on OnePlus
Powered by Triple Camera



Shot on OnePlus
Powered by Triple Camera



Shot on OnePlus
Powered by Triple Camera



Shot on OnePlus
Powered by Triple Camera



जनता के बीच सूचना और जागरूकता के लिए किरू जल विद्युत परियोजना, सीवीपीपीएल, किशतवाड़ द्वारा परियोजना के आसपास के विभिन्न स्थानों पर बैनर/होर्डिंग्स लगाए गए।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पकल दुल एचईपी, सीवीपीपीएल किशतवाड की सीएसआर गतिविधि संख्या 02 के अनुपालन के तहत बीएमओ, किशतवाड को सौंपी गई वस्तुओं की सूची

संख्या	वस्तु	मात्रा
1	विडाल टेस्ट किट 4*5एमएल	15
2	सीआरपी किट (50टी)	10
3	आर.ए. फैक्टर किट (एसओटी)	6
4	ग्लूकोमीटर डिजिटल/एक्यूसर प्लस मीटर	10
5	ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स/एक्यूसर प्लस स्ट्रिप्स (100टी)	5
6	ब्लड ग्रुपिंग सेट (एबीओ)	10
7	एचबी मीटर स्ट्रिप्स (50टी)	10
8	3पी अप्परेटस डिजिटल/मॉनीटर	5
9	ईएसआर पिपेट (संख्या 100)	5
10	एचबी मीटर डिजिटल	10
11	माइक्रोपिपेट 50-1000 यूएल	4
12	माइक्रोपिपेट 5-500 यूएल	4
13	प्रेग्रेंसी किट	1000
14	एचसीवी किट (50टी)	100
15	एचआईवी किट (एसओटी)	200
16	एचबीएसएजी किट	200
17	वीडीआरएल किट/सिफलिस कार्ड ऑस्कर	200
18	लेशमैन स्टेन रीजेंट (500 एमएल)/साइटोक्रोम किट	4
19	3.8% सोडियम साइट्रेट ट्यूब	1000
20	ईडीटीए ट्यूब	1000
21	रेड टॉप	1000
22	एएसओ टिटर	1
23	यूरिन स्ट्रिप	500
24	टाइमर क्लिनिकल/इलेक्ट्रॉनिक टाइमर डिजिटल	2
25	पिपेट स्टैंड	4
26	सीरम यूरिक एसिड 200ml	2
27	माइक्रो टिप्स बिग/एमटीएल लार्ज	10
28	माइक्रो टिप्स स्मॉल/एमटीएल स्मॉल	10
29	रिया वाइल/ट्यूब	5000
30	स्टेथोस्कोप	6
31	एचबी मीटर (शीएलआईएस विधि)	5
32	डिस्टिल्ड वॉटर 1 लीटर	50
33	एन/10 एचसीएल (बोतल)	6
34	ट्रॉप टी किट	15
35	पेपर रोल/थर्मल पेपर रोल	100
36	स्पिरिट 1 लीटर बोतल	10
37	कॉटन	20
38	ग्लूकोमीटर लैसेट 100 नंबर	5

विषय : कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 की धारा 4 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार प्रमाण-पत्र।

कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 की धारा 4 की उप-धारा (5) के उपबंधों के अनुसार, यह प्रमाणित किया जाता है कि सीवीपीपीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में सीएसआर क्रियाकलापों पर 24,97,711 रुपये (चौबीस लाख सत्तानबे हजार सात सौ ग्यारह रुपये केवल) की राशि का उपयोग सीवीपीपीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित उद्देश्य और तरीके से किया गया है। विवरण इस प्रकार हैं:


परियोजना का नाम	चल रही परियोजना			चल रही परियोजना के अतिरिक्त		वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपयोग किए गए कुल राशि (रुपए)
	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अव्ययित राशि (रुपए)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपयोग किए गए राशि (रुपए)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में शेष अव्ययित राशि (रुपए)	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल आवंटित राशि (रुपए)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपयोग किए गए राशि (रुपए)	
पकल दुल जल विद्युत परियोजना	12,68,729	10,22,711	2,46,018	14,57,000	14,57,000	24,79,711
किरु जल विद्युत परियोजना	1,00,828	-	1,00,828	10,00,000	18,000	18,000
कवार जल विद्युत परियोजना	-	-	-	10,00,000	-	-
कुल	13,69,557	10,22,711	3,46,846	34,57,000	14,75,000	24,97,711

दिनांक :

हस्ता./-

वित्त प्रमुख

निगम मुख्यालय, सीवीपीपीएल



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)- 180012